MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARAM): (a) to (d) Indian PSUs MDL, HSL and BSCL have been requesting ONGC to award the well platforms on nomination basis since their yards were lying idle. Based on the past performance of the PSUs and time availability the proposal for award of HX-HY well platform to MDL on nomination basis is under consideration of ONGC Board. However, no decision on the award of contract has been taken. The specifications for the materials being used are as per the international norms. Further, the material standards are required to be confirmed by ONGC's international consultant M/s. EIL.

विदेशों में रह रहे भारतीयों से प्राप्त शिकायतें

2407. **श्री नागमणि:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदेशों में रह रहे भारतीयों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ऐसी शिकायतों का मिशनवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) जी हां।

(ख) भारतीय मिशनों को प्राप्त शिकायतें अधिकतर भारतीय राष्ट्रिकों के पकड़े जाने, वेतन की अदायगी न किए जाने, उपयुक्त मुआवजे के बिना लम्बे तथा कठिन कार्य घंटे, भारत के लिए छुट्टी न दिए जाने तथा विमान किराए की सुविधा दिए जाने, प्रायोजक/नियोजक द्वारा कार्य कर्ताओं के यात्रा दस्तावेज जब्त कर लिए जाने संविदा संबंधी दायित्व पूरे न किए जाने, स्वदेश वापसी और शव को वापिस भारत भेजने के समय आमतौर पर दुव्यर्वहार किए जाने के संबंध में होती है। मिशनवार ब्यौरा प्राप्त किया जा रहा है और सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

(ग) जब इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती है तो सम्बद्ध मिशन भारतीय राष्ट्रिक और नियोजक के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए वहा परस्पर स्वीकार्य समाधान खोजने का प्रयास करता है अथवा- जहां आवश्यक हो शिकायत दूर करने के लिए अलग-अलग मामले विदेशी सरकार के सम्बद्ध प्राधकिारियों के साथ उठाता है।

Representations against permission to multinational companies setting up hot food point

2408. SHRI SHIV CHARAN SINGH: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government have received representations against permitting multinational companies to set up hot food points in the country; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI K.P. SINGH DEO): (a) and (b) While no representation against permitting foreign companies for setting up of hot food point have been received some representations against health hazards, harmful effects, environmental hazards/ pollution, etc., caused due to some fast foods served by foreign/multinational companies operating in India and other countries in their restaurants have been received. Government have approved proposals of M/s. K.F.C., Pizza Hut now known as Pepsico Restaurant International, M/s Mc Donalds, etc., for setting up of and operating quick service restaurants. These restaurants serve various types of food products, which *inter alia* include vegetarian and non-vegetarian foods like potato products (french fries) mashed potato products, salads, milk products, chicken products, burgers with fillings of vegetable/chease/ meat/poultry, fish and ready to eat poultry products, etc. No authentic and

scientific data regarding harmful effects on health by the products served by these companies in India or elsewhere are available. These companies are to operate within the framework of Indian Laws.

जहाजों की मरम्मत हेतु अपर्याप्त सुविधाएं

2409. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में जहाजों की मरम्मत संबंधी वर्तमान सुविधायें अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध वर्तमान सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० राजशेखर मूर्ति): (क) जी हां।

(ख) समुद्रगामी जलयानों की मरम्मत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में मौजूदा जहाज मरम्मत सुविधाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए)।

(ग) जहाज मरम्मत उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खुला है। देश की आयात-निर्यात नीति के अंतर्गत 100% निर्यात परक इकाइयों के लिए समय-समय पर उपलब्ध रियायतें जहाज मरम्मत इकाइयों पर भी लागू होती हैं। सरकार ने विभिन्न पत्तनों पर जहाज मरम्मत सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पत्तनों को सलाह दी है कि वे संबंधित पत्तनों पर जहाज मरम्मत सुविधाएं स्थापित करने के इच्छुक निजी उद्यमियों को भूमि और तटीय क्षेत्र उपलब्ध करवाएं।

विवरण

वाणिज्यिक समुद्रगामी जलयानों के लिए देश में उपलब्ध जहाज मरम्मत सुविधाओं के ब्यौरे

क्रम सं०	पत्तन/जहाज निर्माण यार्ड का नाम	विस्तृत आकार (मीटर में)
1	2	3
1.	**बम्बई पत्तन न्यास, बम्बई:**	
	(i) हयूग्स ड्राई डॉक	304.80×30.08×9.75
	(ii) मीअर वैदर ड्राई डॉक	132.40×19.06×6.40
2.	**कलकत्ता पत्तन न्यास, कलकत्ता:**	
	(i) सं० 1 किड्डरपुर डॉक	157.01×19.51×8.0
	(ii) सं० 2 किड्डरपुर डॉक	143.29×19.51×8.3
	(iii) सं० 3 किड्डरपुर डॉक	102.13×14.63×7.8
	(iv) सं० 1 नेताजी सुभाष डॉक	172.26×22.87×10.0
	(v) सं० 2 नेताजी सुभाष डॉक	176.85×22.87×10.0
3.	**कोचीन शिपयार्ड लि०, कोचीन:**	
	(i) ड्राई डॉक	270.00×44.8×11.5
	क्वे (लम्बाई)	208 एवं 75